

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राज
 प्रकरण संख्या १५/२०२३ शीर्षक किसान बनाम कुमला

दिनांक	कार्यवाही विवरण
--------	-----------------

08/01/25
 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वासी उपस्थित।
 उतिवासी संख्या 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
 17 की तलबी जेस दी। अधिवक्ता वासी तलबी हेतु रजिस्ट्री वही
 सम्मान आज ही पेश करे। सम्मान पेश नोले जाये किना जेस
 पत्रावली वाले तलबी दिनांक 31/01/25 को पेश हो।

31/01/25
 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित।
 10 साल राजकीय काम/अवकाश/स्थानान्तरण
 के लिये सरकारी कार्यों में व्यस्त होने से आयामी पेसी
 दिनांक की सूचना नोटिस बोर्ड पर वरप की गई।
 पत्रावली पूर्व आवेशानुसार दिनांक 24/03/25
 को पेश हो।

हस्ताक्षर रीडर
 (न्यायालय सहायक कलक्टर, देवगढ़)

24/03/25
 पत्रावली आज लोक अदालत में पेश हुई।
 अधिवक्ता वासी उपस्थित। अधिवक्ता वासी के ल
 उतिवा-पत्र पेश कट उमरण में कोई कामवाही नहीं चलने
 तथा लोक अदालत की भावना से उमरण किशो फरमादे
 जाने बाबत निवेदन किया गया। अतः अधिवक्ता वासी
 डाटा पेश उतिवा-पत्र स्वीकार किया जाता है। वासी का
 का 5 अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान शासकी अधिनियम
 का लोक अदालत की भावना से किशो किया जाता है।
 पत्रावली फेरव शुमार है, नम्बर से कर की जेस।

सदस्य
 लोक अदालत
 तालुका विधिक सहायता समिति,
 देवगढ़ जिला राजसमंद

न्यायिक अधिकारी
 लोक अदालत
 तालुका विधिक सहायता समिति,
 देवगढ़ जिला राजसमंद